भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 816

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन और गैसीकरण के विस्तार के बीच संतुलन बनाना

816. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का कोयले के रिकॉर्ड उत्पादन और गैसीकरण के विस्त्र संबंधी पहलों तथा भारत में, विशेषकर कोयला उत्पादक और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ किस प्रकार संतुलन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कोयले के आयात में गिरावट और सम्मिश्रण से विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागत में महत्वपूर्ण बचत हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला एक्सचेंज और "कोल-सेतू" और संशोधित योजना "शक्ति" जैसे हाल में किए गए नीतिगत सुधार किस प्रकार उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करेंगे और बड़ी कंपनियों के बाजार पर नियंत्रण को रोकेंगे;

(घ) क्या वर्ष 2025 में जारी किए गए नए वाणिज्यिक और कैप्टिव कोयला खदानों के आबंटन के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर खनन प्रभावित जिलों में जहां विस्थापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक हैं, के संबंध में कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय में पारदर्शी उपयोग और क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : देश में कोयला उत्पादन योजना संबंधित हितधारकों के परामर्श के माध्यम से विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों के मांग आंकलन पर आधारित है और कोयला कंपनियां निम्नलिखित

उपायों के माध्यम से अपने खनन प्रचालनों को भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कर रही हैं -

(i) पर्यावरण सुरक्षा उपाय: पर्यावरण मंजूरी का सख्त अनुपालन, वैज्ञानिक खान बंद करने की योजना को अपनाना, और बड़े पैमाने पर भूमि सुधार और वनीकरण।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता: कोयला आधारित प्रचालन के पूरक के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा दक्षता पहल में निवेश।

(iii) प्रौद्योगिकी अपनाना: कोयला उत्पादन में स्वच्छ खनन प्रौद्योगिकियों की संस्थापना, मशीनीकृत धूल दमन, और पर्यावरण के अनुकूल और विस्फोट मुक्त खनन प्रौद्योगिकी (जैसे सरफेस माइनर्स, रिपर्स, कंटीन्यूअस माइनर, हाईवॉल और लॉन्गवॉल माइनिंग) का उपयोग और ओवरबर्डन को हटाना।

(iv) समुदाय केंद्रित पुनर्प्रयोजन गतिविधियाँ: खान बंद करने के दिशानिर्देशों के अनुरूप खनन किए गए क्षेत्रों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता है। गैसीकरण को घरेलू कोयला भंडार का उपयोग करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीके के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, कोयले को सिनगैस जैसे स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष दहन की तुलना में कम उत्सर्जन के साथ मूल्यवान रसायनों, उर्वरकों और बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।

(ख) : वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में कुल कोयला आयात 243.62 मिलियन टन (मि.ट.) था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 264.53 मि.ट. था, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान लगभग ₹60,681.67 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत हुई।

बिजली क्षेत्र में सम्मिश्रण के लिए आयात किया जाने वाला कोयला वित्त वर्ष 2022-23 में 35.10 मि.ट. से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 14.02 मि.ट. हो गया है। वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर 25) के दौरान सम्मिश्रण के लिए आयात किया गया कोयला पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 12.0 मि.ट. की तुलना में 5.5 मि.ट. है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत कम है, जिससे घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए इनपुट ईंधन लागत कम हो गई है।

(ग) : कोल एक्सचेंज ने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की है जहां क्रेता और विक्रेता दोनों एक साथ बोली लगा सकते हैं जिससे कोयले के मूल्य खोज को और अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और पारदर्शी बाजार तंत्र के माध्यम से कोयले की मांग को पूरा किया जा सके। संशोधित शक्ति नीति और कोलसेतु विंडो के तहत सभी कोयला लिंकेज पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी पात्र उपभोक्ताओं को समान अवसर प्रदान करके बाजार संचालित मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली और नीति दस्तावेज के अनुसार बनाए गए हैं।

(घ) : कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खानों के आबंटन पर आबंटियों को खनन प्रचालन शुरू करने के लिए विभिन्न स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त होते हैं। तदनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोयला खनन के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किए जाते हैं।

(ङ) : कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय में क्षेत्रीय साम्यता सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) परियोजना प्रभावित क्षेत्रों (पीएए) को प्राथमिकता प्रदान करती है और यह अधिदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरूप खानों और प्रतिष्ठानों के 25 कि.मी. के भीतर सीएसआर व्यय का कम से कम 80% व्यय किया जाए ताकि खनन जिलों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। पारदर्शी उपयोग के लिए, सीआईएल एक मजबूत तंत्र का पालन करता है जिसमें आवश्यकता-आधारित परियोजना चयन, अंतर-विषयक समितियों के माध्यम से अनुमोदन, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परियोजना मोड में निष्पादन, अधिदेषित समझौता ज्ञापन और उपयोग प्रमाण पत्र, मजबूत डेटा निगरानी, बोर्ड-स्तरीय निरीक्षण और बड़ी परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र प्रभाव आकलन के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइटों पर सार्वजनिक प्रकटीकरण, कार्यान्वयन से पहले, दौरान और बाद के चरणों में जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल हैं।

*****